कार्यालय–ज्ञाप

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1382/2020/ सीएक्स–3 दिनांक 31 मई, 2020 विषयक लॉक डाउन अवधि में, जनपद में दिनांक 08.06.2020 से शापिंग मॉल खोले जाने के सम्बन्ध में, जनपद के शापिंग मॉल प्रबन्ध–तंत्र से विचार–विमर्श किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्थित शापिंग मॉल को दिनांक 08.06.2020 से खोले जाने के दृष्टिगत, जनपद के सभी शापिंग मॉल के प्रबन्ध–तंत्र द्वारा निम्नवत् व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. कन्टेनमेंट जोन/बफर जोन में कोई शापिंग मॉल नहीं खोला जायेगा। यदि भविष्य में कोई क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र में स्थित शापिंग मॉल का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा।
2. शापिंग मॉल द्वारा अपने मॉल के कवर्ड एरिया के अनुसार प्रत्येक 1000 वर्गफीट में दो व्यक्तियों (कर्मचारियों को छोड़कर) के अनुसार, एक समय में मॉल में उपस्थित रहने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जाये और इसकी समीक्षा सदैव की जायेगी कि अधिकतम निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति एक समय में मॉल में उपस्थित न हों।
3. शापिंग मॉल के प्रत्येक प्रवेश द्वार एवं पार्किंग से लिफ्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाये तथा हाथों को हैण्ड सेनेटाइज हाइड्रोलिक सेनेटाइजर डिस्पेंसर द्वारा कराया जाये।
4. प्रवेश द्वारा पर प्रयोग में लाये जाने वाले हैण्ड डिटेक्टर की लम्बाई बढ़ाई जाये तथा एक निश्चित दूरी से लोगों की जांच की जाये।
5. शापिंग मॉल के प्रवेश द्वार, एस्केलेटर रेलिंग, सीढ़ियों की रेलिंग, फ्लोर, लिफ्ट, पार्किंग एरिया एवं माल में ऐसे सभी स्थान जहां पर ग्राहकों का आवागमन रहता है, को प्रत्येक दिवस, प्रातः में डिस्इन्फेक्टेंट से सेनेटाइज कराया जाये।
6. शापिंग मॉल में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को नियमित रूप से, मॉल के प्रवेश द्वार पर डिजिटली प्रदर्शित किया जायेगा।
7. शापिंग मॉल में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जायेगा और प्रवेश द्वार पर "No Mask No Entry" "बिना मास्क के प्रवेश नहीं" का बोर्ड लगाकर अथवा डिजिटली प्रदर्शित किया जायेगा।
8. शापिंग मॉल में उपस्थित व्यक्तियों को इस सूचना से अवगत कराया जायेगा कि जिन व्यक्तियों को मॉल में खरीदारी करनी है, वह ही मॉल में प्रवेश करें और अपनी खरीदारी को शीघ्र पूरा करके बाहर आ जायें तथा मॉल में अनावश्यक न रूकें, जिससे अन्य ग्राहक मॉल में प्रवेश कर सकें। साथ ही मॉल में एक–दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी बनाये रखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्य करते रहें। इसका प्रचार–प्रसार, मॉल के परिसर में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से करते रहेंगे।
9. शापिंग मॉल प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक ही खोले जाएंगे। प्रतिदिन मॉल खोलने के पूर्व मॉल (पार्किंग स्थल को सम्मिलित करते हुए) का समस्त मानकों एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रतिदिन सेनेटाइजेशन कराया जाएगा।
10. शापिंग मॉल प्रबन्ध–तंत्र द्वारा मोबाइल स्क्वायड के माध्यम से पूरे मॉल परिसर की निगरानी लगातार की जायगी कि मॉल में कोई व्यक्ति अनावश्यक कहीं न बैठा रहे।
11. शापिंग मॉल में स्थित स्टोर/शॉप के सभी स्टॉफ द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क एवं हैण्ड ग्लब्ज का उपयोग किया जायेगा।
12. शापिंग मॉल परिसर में स्थित फूड स्टाल/फूड कोर्ट/रेस्टोरेंट में, शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा पृथक से जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यहां केवल होम डिलीवरी एवं Take-away ही allowed रहेगा। कोई भी व्यक्ति वहां बैठ कर नहीं खाएगा। मॉल परिसर में स्थित फूड स्टॉल/फूड कोर्ट/रेस्टोरेंट का समस्त मानकों एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रतिदिन सेनेटाइजेशन कराया जाएगा।
13. शापिंग मॉल परिसर एंव सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

Scanned with CamScanner

14. शापिंग मॉल परिसर में गेमिंग जोन, बच्चों के खेलने का एरिया और सिनेमा हॉल बन्द रहेंगे।
15. शापिंग मॉल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
16. भारत सरकार, उ०प्र० सरकार, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी गाइडलाईन (SOPs) का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
17. प्रत्येक शापिंग मॉल स्वयं में एक बड़ी इकाई है तथा सभी की क्षेत्रीय व्यवस्थाएं भी भिन्न हैं। अतः प्रत्येक मॉल अपना संचालन प्रारंभ करने से पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड–19 के दृष्टिगत् अपनाए जा रहे अपने समस्त उपायों के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख करते हुए कि कॉमन स्पेसेज, ओपेन एरिया तथा पाथवेज पर तथा अपने मॉल में व्यवसाय कर रहे सभी व्यवसायियों के द्वारा उक्त उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (ट्रांस गोमती), लखनऊ के कार्यालय में ससमय प्रस्तुत करेंगे। तद्नुसार प्रत्येक मॉल के लिए भिन्न–भिन्न संचालन हेतु अनुमति–पत्र निर्गत कर संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसके अनुसार ही मॉल के संचालन की अनुमति होगी।
18. स्थानीय प्रशासन, क्षेत्रीय पुलिस, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा कल दिनांक 06 जून 2020 तक अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित शापिंग मॉल का निरीक्षण कर लिया जाए। यदि स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत माल के संचालन में अन्य किसी बिन्दु के अनुपालन कराने के पश्चात ही तत्संबंधी मॉल का संचालन किया जाना अपेक्षित हो, तो उक्त के संबंध में दिनांक 06 जून 2020 को दोपहर 12:00 बजे तक तत्संबंधी आख्या, अपर जिला मजिस्ट्रेट (ट्रांस गोमती), लखनऊ कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाए।

5/6/2020

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्याः 23/मनो०कर/2020–21 दिनांक : 05 जून, 2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर), लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
7. अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ।
8. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।
9. औषधि निरीक्षक, लखनऊ।
10. समस्त संबंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
11. जनपद के समस्त शापिंग मॉल के प्रबन्ध–तंत्र को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner